



थाना लोनी पुलिस, टीम एसपी ग्रामीण व क्राइम ब्रांच गाजियाबाद

द्वारा एक बदमाश पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार।

दिनांक 03/09/2022 को थाना लोनी पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को निठोरा अंडर पास के पास चेंकिंग के दौरान रोका गया तो मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से पीछे मोडकर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा, जिस पर थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अपने साहस का परिचय देते हुये बदमाश की घेराबन्दी की गयी । बदमाश के द्वारा पुलिस को लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया ।पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम अंकुश पुत्र जोगेंद्र निवासी निडोरी थाना मसूरी गाजियाबाद बताया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता

- 1- अभि० अंकुश पुत्र जोगेंद्र निवासी निडोरी थाना मसूरी गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण

- 1- एक अदद मोटरसाइकिल चोरी की
- 2- 01 अदद तमंचा 315 बोर
- 3- 03 कारतूस - (01 खोखा 02 जिंदा)

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु.अ.स.449/2020 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खरखोदा मेरठ
2. मु.अ.स.42/2020 धारा-395/42/342/120 बी भादवि थाना खरखोदा मेरठ
3. मु.अ.स.449/2020 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कंकरखेड़ा मेरठ
4. मु.अ.स.42/2020 धारा-395/42/342/120 बी भादवि थाना परतापुर मेरठ

5. मु.अ.स.20/2020 धारा-395/42/342/120 बी भादवि थाना खरखोदा मेरठ
6. मु.अ.स.001/2020 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद
7. मु.अ.स.070/2020 धारा-4/25 आर्मस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
8. मु.अ.स.803/2019 धारा-395/414/412/342/457 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
9. मु.अ.स.310/2019 धारा-459 भादवि थाना खेकड़ा बागपत
10. मु.अ.स.256/2019 धारा-380 भादवि थाना खेकड़ा बागपत
11. मु.अ.स.495/2019 धारा-457/307/302 भादवि थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद
12. मु0अ0सं0 1027/22 धारा 307/411/414 भादवि थाना लोनी गा0बाद
13. मु0अ0सं0 1028/22 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम

1. SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
2. उ0नि0 नरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा लोनी गा0बाद
3. उ0नि0 अखिलेश उपाध्याय चौकी प्रभारी रुपनगर लोनी गा0बाद
4. हैड का0 526 सचिन कुमार थाना लोनी गा0बाद
5. का0 2902 विजय राठी थाना लोनी गा0बाद
6. क्राइम ब्रांच गाजियाबाद
7. टीम एसपी ग्रामीण गा0बाद



प्रेस नोट

क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 01 करोड़ रुपये की कीमत के अफीम सहित अन्तर्राज्यीय 05 तस्कर मय तस्करी में प्रयुक्त ईको कार सहित गिरफ्तार।

एनसीआर क्षेत्र में युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती हुई पृवृत्ति पर रोक-थाम लगाने के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक, अपराध, पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद ने मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले तस्करों व आपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया जिसके क्रम में कुख्यात मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया तथा उनसे मिली जानकारी पर कठिन परिश्रम करते हुए दिनांक: 03.09.2022 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, नगर एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में जनपद गाजियाबाद क्राइम ब्रान्च द्वारा थाना कविनगर क्षेत्र में डाइमण्ड फ्लाईओवर के पास झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही 05 किलोग्राम अफीम 05 अन्तर्राज्यीय तस्करों श्याम बिहारी, विनोद गुप्ता, गवेन्द्र, देवेन्द्र व 01 महिला के साथ मय ईको कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। बरामद 05 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 01 करोड़ रुपये है।

पूछताछ का विवरण :-

पूछताछ पर अभियुक्त विनोद गुप्ता ने बताया कि साहब हम लोग झारखण्ड के रहने वाले हैं, मैं गेजुएट हूँ और ई-रिक्शा चलाने का काम करता था, उसमें ज्यादा आमदनी नहीं थी, इसी कारण मैंने मादक पदार्थों की तस्करी का काम शुरू कर दिया। जनपद रांची से हम लोग उत्तर भारत में अफीम की तस्करी करते हैं। रांची से हम लोग कभी बस, कभी ट्रेन व कभी कार से अफीम लेकर चलते हैं। किसी को शक न हो इसलिए हम लोग अपने साथ अपने परिवार की महिलाओं को भी साथ में रखते हैं। अफीम व अन्य नशीले पदार्थ लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली व एनसीआर क्षेत्रों में आते हैं। हम लोग अक्सर गाड़ियां बदल-बदलकर इन नशीले पदार्थों की डिमाण्ड के अनुसार सप्लाई करते हैं। जब हमें अफीम का ऑर्डर मिलता है तो डिमाण्ड के अनुसार उतने माल का हम पैसा अपने खाते में पहले ही ट्रांसफर करवा लेते हैं। फिर जगह तय कर लेते हैं कि किस शहर में, कहां और कितने बजे मिलेंगे। जब हम लोग वहां से चलते हैं तो अपने सभी फोन बन्द कर लेते हैं और ना ही किसी से सम्पर्क करते हैं और न ही कहीं रुकते हैं, जब तक कि माल की तयशुदा जगह पर डिलीवरी न पहुंचा दें। हम लोगों का एक संगठित गिरोह है जो एनसीआर, उ०प्र०, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में इसकी सप्लाई करते हैं। आज हम लोग यह माल ट्रेन से लेकर आये थे तथा इस माल को हमें बरेली वालों को देना था। पूछताछ पर श्यामबिहारी ने बताया कि साहब मैं कक्षा-8 तक पढ़ा हूँ व फ़ैजुल्लापुर थाना अलीगंज जिला बरेली में जूते-चप्पल की दुकान करता हूँ और उसी की आड़ में, मैं मादक पदार्थों का भी अवैध व्यापार करने लगा हूँ। मैं झारखण्ड से मंगाये हुए माल को लेने के लिए किराये पर गाड़ी लेकर आता हूँ व अफीम लेकर अपने साथी गवेन्द्र के साथ गाजियाबाद,

देहरादून, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ में सप्लाई करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल में, मैं इस माल की सप्लाई करने वाला था। पूछने पर ईको कार के ड्राइवर व मालिक देवेन्द्र ने बताया कि मैं पहले भी इन लोगों के साथ अफीम की कई बार अपनी गाड़ी से तस्करी कर चुका हूं। पूछताछ पर चारों ने यह भी बताया कि हम लोग काफी समय से यह काम कर रहे हैं, इस धन्धे में कम समय में ज्यादा फायदा होता है, हम लोग अपने शौक व घर के खर्चे इसी से पूरे करते हैं।

अभियुक्तों से पूछताछ पर मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीम बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. श्याम बिहारी पुत्र उल्फत सिंह निवासी ग्राम कुंडलिया फैजुल्लापुर थाना अलीगंज जिला बरेली
2. विनोद कुमार गुप्ता पुत्र कोलेश्वर निवासी ग्राम टोटी हेसला पोस्ट बेसरा थाना बालूमथ जिला लातेहार झारखंड
3. गवेन्द्र पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम लच्छमपुर थाना आंवला जिला बरेली
4. देवेन्द्र पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम बम्मी थाना अलापुर जिला बदायूं
5. 01 महिला

बरामदगी का विवरण :-

1. 05 किलोग्राम अफीम कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये
2. 01 ईको कार नम्बर-UP25CK4734

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. निरीक्षक श्री अब्दुर रहमान सिद्दीकी प्रभारी क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
2. निरीक्षक श्री सौरभ शुक्ला क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
3. उ०नि० श्री सत्यवीर सिंह क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
4. हे०कां० 1402 इरफान हुसैन क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
5. हे०कां० 1367 संदीप मलिक क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
6. हे०कां० 748 सचिन मलिक क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
7. हे०कां० 1564 आशुतोष कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
8. हे०कां० 1677 वरुणवीर सिंह क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
9. कां० 2003 सचिन कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
10. कां० 1013 सुनील पंवार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
11. कां० 131 मनोज कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
12. कां० 2203 सुनित कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
13. कां० 1550 नितिन कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
14. हे०कां० सहचालक मुरशान अली क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
15. महिला आरक्षी 3031 बबली थाना कविनगर गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा फर्जी सूचना देने वाले अभि० को जेल भेजा गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार दीक्षित के कुशल नेतृत्व में कल दिनांक 03.09.2022 की रात्रि में अभि० संजीव कुमार शर्मा पुत्र सुरेशचन्द्र शर्मा नि० ई - 92, गली न० 15 शिवराम पार्क, नागलोई पश्चिमी दिल्ली दिल्ली 110041 द्वारा फोन चोरी होने झूठी सूचना डायल 112 पर दी गयी जोकि थाना कौशाम्बी से प्राप्त होने पर उ०नि० श्री अंकित श्रीवास्तव व हमराहीयान के मौके पर पहुंचे तो संजीव कुमार शर्मा नशे में शोर मचा रहा था और आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने का प्रयास कर रहा था । जब पुलिस कर्मियों द्वारा इससे मोबाइल फोन चोरी के बारे में जानकारी ली गयी तथा जामातलाशी पर इसकी पेन्ट की जेब से ही इसका मोबाइल फोन प्राप्त किया गया । इस सम्बंध में पूछने पर अभि० संजीव कुमार शर्मा अधिक उत्तवालेपन से पुलिस कर्मियों से लडने के लिये तैयार हो गया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा शान्ति भंग होने की स्थिती को देखते हुए अभि० संजीव कुमार शर्मा को हिरासत पुलिस लिया गया । अभियुक्त का चालान द्वारा चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट के किया गया । अभि० को न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार दीक्षित
2. उ०नि० श्री अंकित श्रीवास्तव
2. का० 1428 कमल कुमार
3. का० 2200 कृष्ण कुमार

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नफर बालअपचारी गिरफ्तार, कब्जे से 600 ग्राम गांजा नाजायज बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार दीक्षित के कुशल नेतृत्व में मादक पदार्थों के क्रय/विक्रय पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में थाना कौशाम्बी पुलिस आज दिनांक 04.09.2022 को शुक्र बाजार रोड ग्राम भोवापुर कौशाम्बी से चैकिंग के दौरान 01 नफर बाल अपचारी मय 600 ग्राम

नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । बाल अपचारी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

01 बालअपचारी द्वारा NCR क्षेत्र में नाजायज गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करना ।

नाम पता बाल अपचारी-

01 नफर बाल अपचारी

बरामदगी -

बाल अपचारी के कब्जे से 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना ।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 477/2022 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कौशाम्बी गा0बाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार दीक्षित
2. उ0नि0 अमित सोनी
3. का0 2100 तृष्ण कुमार
4. रि0का0 404 नोवेन्द्र
5. म0का0 2324 सविता चौधरी

**थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्ता
गिरफ्तार कब्जे से 600 ग्राम गांजा नाजायज बरामद ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार दीक्षित के कुशल नेतृत्व में मादक पदार्थों के क्रय/विक्रय पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में थाना कौशाम्बी पुलिस आज दिनांक 04.09.2022 को शुक्र बाजार रोड ग्राम भोवापुर कौशाम्बी से चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्ता पार्वती पत्नी सेवाराम उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी हाल पता नीलम बिहार झुग्गी झोपड़ी भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद व मूल निवासी गांव सारी सलेमपुर थाना नगरा बलिया मय 600 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

01 अभियुक्ता द्वारा NCR क्षेत्र में नाजायज गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करना ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता-

01 नफर अभियुक्ता पार्वती पत्नी सेवाराम उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी हाल पता नीलम बिहार झुग्गी झोपड़ी भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद व मूल निवासी गांव सारी सलेमपुर थाना नगरा बलिया

बरामदगी -

अभियुक्ता के कब्जे से 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना ।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 476/2022 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कौशाम्बी गा0बाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार दीक्षित
2. उ0नि0 अमित सोनी
3. का0 2100 तृष्ण कुमार
4. रि0का0 404 नोवेन्द्र
5. म0का0 2324 सविता चौधरी

थाना कविनगर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 800 ग्राम गांजा नाजायज बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक थाना कविनगर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 03.09.2022 को समय 22.00 बजे बम्हेटा अण्डर पास थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभि0 (1) आकाश त्रिवेदी पुत्र सत्यप्रकाश निवासी म0नं0 401 गली न0 8 दौलतपुरा थाना सिहानी गेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम मदरावा, थाना हरियावा जनपद हरदोई उम्र करीब 20 वर्ष (2) आकाश सिंघल पुत्र अमरीश सिंघल निवासी म0नं0 419 गली नं0 9 दौलतपुरा थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 800 ग्राम गांजा नाजायज बरामद हुआ । अभियुक्तगण से बरामद गांजा के सम्बन्ध में उसके के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1233/22 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम आकाश त्रिवेदी, मु0अ0सं0 1234/22 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम आकाश सिंघल पंजीकृत किया गया ।

घटना का विवरण-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) आकाश त्रिवेदी पुत्र सत्यप्रकाश निवासी म०नं० 401 गली न० 8 दौलतपुरा थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
मूल पता ग्राम मदरावा, थाना हरियावा जनपद हरदोई च उम्र करीब 20 वर्ष
- (2) आकाश सिंघल पुत्र अमरीश सिंघल निवासी म०नं० 419 गली नं० 9 दौलतपुरा थाना सिहानी गेट
गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

800 ग्राम गांजा नाजायाज।

अभियुक्त आकाश त्रिवेदी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 1233/22 धारा 8/20 NDPS Act थाना कविनगर गाजियाबाद ।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

अभियुक्त आकाश सिंघल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 1234/22 धारा 8/21 NDPS Act थाना कविनगर गाजियाबाद ।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SHO अमित कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. निरी० यशपाल थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. उ०नि० अन्नू कुमार मलिक थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. हे०का० 433 रामकिशन सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद ।
5. हे०का० 1515 धर्मेन्द्र अवस्थी थाना कविनगर गाजियाबाद ।

**एसपी/सीओ सदर की टीम एवम थाना मसूरी पुलिस द्वारा कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ में
तेल चोर एवम वाहन चोर गैंग का एक वांछित अपराधी पैर में गोली लगने से घायल एवम
गिरफ्तार -**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज जी द्वारा अपराधियों अपराध नियंत्रण हेतु वांछित अपराधियों की धर पकड़ के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर श्री आकाश पटेल के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मसूरी रविन्द्र चन्द्र पन्त व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब कुशलिया बम्बा के पास नाहल रोड़ पर चैकिंग के दौरान उ०नि० नासिर हुसैन व पुलिस टीम द्वारा बेलेनो कार को रोकने का ईशारा किया तो बेलेनो कार सवार चालक द्वारा कार को पीछे मोड़कर भागने लगे कि बदमाश होने का शक होने पर पुलिस पार्टी द्वारा गाडी का पीछा किया तो करीब 700-800 मीटर नाहल रोड़ की तरफ बदमाशों ने बेलेनो कार को एक मैदान की तरफ जिससे होकर नाहल की तरफ भागा जा सकता है । कार

को मोड़ दिया कार गड़्ढे में फस गई तो स्टार्ट गाडी को छोडकर दो बदमाश पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करके भागने लगे । जिससे पुलिस पार्टी बाल बाल बची और पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों को ललकारते हुए आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो बदमाशों द्वारा पुनः अपने अपने तमन्चे लोड करके पुलिस पार्टी पर फायर किया एक बदमाश का मिस फायर हुआ पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ सिस्त लेकर बदमाशों की फायरिंग के जवाब में 03 राउंड फायर किये गये । इस क्रांस फायरिंग में एक बदमाश दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे समय करीब 22.23 बजे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा पकडे गये बदमाश ने अपना नाम मोहसीन उर्फ मोसीन पुत्र रजुवा निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद बताया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमन्चा जिसकी नाल में खोका फंसा हैं तथा एक जिन्दा कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर की गई फायरिंग से सम्बन्धित एक अदद खोका घटना स्थल पर पडा हुआ बरामद हुआ हैं तथा फरार बदमाश का नाम अन्नू पुत्र तसव्वर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद प्रकाश में आया हैं । गिरफ्तार घायल बदमाश मोहसीन उर्फ मोसीन ने पूछताछ पर बताया कि हम अपने साथियों के साथ मिलकर रात में हाईवे पर खडी गाडियों से तेल चोरी करके बेचते हैं तथा इसके अलावा हम चोरी के वाहन भी खरीदते बेचते हैं एवं इन वाहनों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा देते हैं ताकि किसी को शक न हों और हम पुलिस की नजरों से बचे रहे । बदमाशों से बरामद बेलैनो कार रंग नीली की नम्बर प्लेट की जांच की गई तो यह फर्जी पाई गई । बरामद उक्त कार थाना एम.वी.ई. थैप्ट ई पुलिस स्टेशन दिल्ली पर पंजीकृत एफ.आई.आर.नं.017147 से सम्बन्धित चोरी की पाई गई हैं । अभियुक्तगण शातिर किस्म का बदमाश हैं जिस पर लगभग 03 दर्जन मुकदमें चोरी, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास गैंगस्टर आदि के पंजीकृत हैं । घायल बदमाश मोहसीन उर्फ मोसीन थाना मसूरी का हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं । जिसका उपचार संयुक्त जिला अस्पताल संजयनगर में कराया जा रहा हैं । उपरोक्त घटना के सन्दर्भ में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 672/22 धारा 307/411/414/482 भादवि व मु0अ0सं0 673/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

पंजीकृत अभियोग -

- 1- मु0अ0सं0 672/22 धारा 307/411/414/482 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 673/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण

- 1- एक तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस ।
- 2- एक चोरी की बलैनो कार जिस पर फर्जी नंबर प्लेट ।

आपराधिक इतिहास मोहसीन उर्फ मोसीन पुत्र रजुवा निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद

जनपद गाजियाबाद

- 1- मु०अ०सं० 393/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
- 2- मु०अ०सं० 44/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद
- 3- मु०अ०सं० 457/19 धारा 411/482 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 4- मु०अ०सं० 665/20 धारा 420/484/414 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 5- मु०अ०सं० 812/21 धारा 414/482 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 6- मु०अ०सं० 153/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
- 7- मु०अ०सं० 474/15 धारा 3/5/8 गौ० नि० अधि० थाना मसूरी गाजियाबाद
- 8- मु०अ०सं० 265/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
- 9- मु०अ०सं० 522/18 धारा 3/5/8 गौ० नि० अधि० थाना मसूरी गाजियाबाद
- 10- मु०अ०सं० 166/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
- 11- मु०अ०सं० 889/2021 धारा 457/380 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
- 12- मु०अ०सं० 846/2018 धारा 379/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद
- 13- मु०अ०सं० 214/17 धारा 414 भादवि थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद
- 14- मु०अ०सं० 891/2019 धारा 457/380 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
- 15- मु०अ०सं० 947/20 धारा 411/420/465/482/414 भादवि थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद
- 16- मु०अ०सं० 582/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
- 17- मु०अ०सं० 1036/2018 धारा 379 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद
- 18- मु०अ०सं० 0016/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
- 19- मु०अ०सं० 666/22 धारा 414/420/482 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 20- मु०अ०सं० 66/2012 धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 21- मु०अ०सं० 664/2011 धारा 392 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 22- मु०अ०सं० 744/2011 धारा 392 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 23- मु०अ०सं० 845/11 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
- 24- मु०अ०सं० 1065/18 धारा 457/380/429 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 25- मु०अ०सं० 1071/2018 धारा 401 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 26- मु०अ०सं० 1072/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद

जनपद मेरठ -

- 1- मु०अ०सं० 466/16 धारा 307 भादवि थाना दौराला मेरठ
- 2- मु०अ०सं० 469/16 धारा 25 एएक्ट थाना थाना दौराला मेरठ
- 3- मु०अ०सं० 471/16 धारा 414 भादवि थाना थाना दौराला मेरठ

जनपद हापुड -

- 1- मु०अ०सं० 167/15 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड
- 2- मु०अ०सं० 120/15 धारा 395 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड

जनपद गौतमबुद्धनगर

1- मु0अ0सं0 320/18 धारा 411/414/482 भादवि थाना विसरख जिला गौतमबुद्धनगर

दिल्ली

1- 1- मु0अ0सं0 7494/2018 धारा 379/411/482 भादवि थाना महरौली दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री नासिर हुसैन
2. उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह
3. है0का0 1119 राजकुमार
4. है0का0 460 प्रशान्त कुमार
5. का0 1362 विकास कुशवाह
6. का0 2825 मनीष
7. का0 219 अजय
8. का0324 रोहित कुमार
9. का0617 सुमित तरार

थाना टीलामोड की पुलिस द्वारा चार शातिर अभियुक्तों को लूट की योजना बनाते समय अवैध असलाह व लूटे गये 02 अदद मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को लूट की योजना बनाते हुए चार अदद चाकू नाजायज व दो लूटे गये मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 03-09-22 को रात्रि में 23.50 बजे डिफेन्स कालोनी कटे खडंजे के किनारे कुडे के ढेर के पास मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्त गण 1. इमरान उर्फ विक्की उर्फ बडा मामा पुत्र जिल्ले निवासी गली न0- 03, दीनपुर नजबगढ दिल्ली 2. शोएब पुत्र रहीसू उर्फ रहीसूद्दीन निवासी देवडू थाना से0 27 जनपद सोनीपत हरियाणा 3. साबिर पुत्र इस्लाम निवासी देवडू थाना से0 27 जनपद सोनीपत हरियाणा 4. अबरार पुत्र इरशाद निवासी 6/8 मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना साहिबाबाद

गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 04 अदद चाकू नाजायज व 02 छीने गये मोबाईल फोन सम्बन्धित मु0अ0सं0 473/21 धारा 392 भादवि बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 437/22 धारा 398/401/411 भादवि बनाम 1.इमरान 2.शोएब 3.साबिर 4.अबरार तथा मु0अ0सं0 438/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम इमरान उर्फ विक्की उर्फ बडा मामा व मु0अ0सं0 439/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम शोएब व 440/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम साबिर व मु0अ0सं0 441/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम अबरार अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-

- 1- इमरान उर्फ विक्की उर्फ बडा मामा पुत्र जिल्ले निवासी गली न0- 03, दीनपुर नजबगढ दिल्ली
- 2- शोएब पुत्र रहीसू उर्फ रहीसूद्दीन निवासी देवडू थाना से0 27 जनपद सोनीपत
- 3- साबिर पुत्र इस्लाम निवासी देवडू थाना से0 27 जनपद सोनीपत हरियाणा
- 4- अबरार पुत्र इरशाद निवासी 6/8 मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

1- कुल चार चाकू प्रत्येक अभियुक्त से एक-एक

1- मोबाइल फोन ओपो कम्पनी आईईएमआई नं0 क्रमशः IMEI N0-01. 862281052858738 व 02.862281052858720 माडल CPH2239

2- IMEI N0-01. 35116147144608/3 व 2. 35936839144608/3 सम्बन्धित मु0अ0सं0 473/21 धारा 392 भादवि थाना टीला मोड

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

- 1- मु0अ0सं0 473/21 धारा 392 ,411 भादवि बनाम .इमरान 2.शोएब 3.साबिर 4.अबरार थाना टीला मोड गा0

2- मु0अ0सं0 437/22 धारा 398/401/411 भादवि बनाम 1.इमरान 2.शोएब 3.साबिर4. अबरार

थाना टीला मोड

3- मु0अ0सं0 438/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम इमरान उर्फ विक्की थाना टीला मोड गा0बाद

4- मु0अ0सं0 439/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम शोएब थाना टीला मोड गा0बाद

5- मु0अ0सं0 440/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम साबिर थाना टीला मोड गा0बाद

6- मु0अ0सं0 441/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम अबरार थाना टीला मोड गा0बाद

अभि0 गण के अन्य आपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0श्री करतार सिंह थाना टीला मोड गा0बाद
2. हे0का0 1578 आशीष प्रताप सिंह थाना टीला मोड गा0बाद
3. हैड कां0 335 प्रमोद कुमार , थाना टीला मोड गा0बाद
4. हैड कां0 योगेन्द्र कुमार थाना टीला मोड गा0बाद
5. कां0 1447 आशु पुण्डीर थाना टीला मोड गा0बाद

थाना टीलामोड की पुलिस द्वारा अवैध नशे का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को 20 पत्ते नशीली गोलिया (कुल 1200 गोलिया एल्प्राजोलम) नाजायज सहित गिरफ्तार किया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 20 पत्ते नशीली गोलिया (कुल 1200 गोलिया एल्प्राजोलम) सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 03-09-22 को प्रात में 23.30 बजे बजे कोयल इंकलेव गेट के पास खाली पडे मैदान से गस्त के दौरान एक अभियुक्त सलीम पुत्र शकील c/o मनोज नि0 झुग्गी नं0 6 गली नं0 11 कोडिया कालोनी दिल्ली उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 20 पत्ते नशीली गोलियों के जिसमें कुल 1200 गोलियाँ (कुल 1200 गोलिया एल्प्राजोलम) बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 436/22 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम सलीम उपरोक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-

- 5- सलीम पुत्र शकील c/o मनोज नि0 झुग्गी नं0 6 गली नं0 11 कोडिया कालोनी दिल्ली

बरामदगी का विवरण –

20 पत्ते नशीली गोलिया (कुल 1200 गोलिया एल्प्राजोलम)

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

7- मु0अ0स0 436/22 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना टीलामोड गाजियाबाद अभि0 के अन्य आपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

6. उ0नि0श्री नि0 श्री प्रवीन मलिक थाना टीला मोड गा0बाद
7. हे0का0 1273 महेश कुमार थाना टीला मोड गा0बाद
8. का0 1051 अवलेश मलिक थाना टीला मोड गा0बाद
9. का0 1336 सोविन्द्र सिंह थाना टीला मोड गा0बाद

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा एक शातिर तस्कर मय नाजायज देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 04.09.2022 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त मोहित उर्फ चिन्टू पुत्र राम कुमार नि0 जग्गी के मकान में किरायेदार ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद को 35 पोव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मोहित उर्फ चिन्टू पुत्र राम कुमार नि0 जग्गी के मकान में किरायेदार ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तारी घटनास्थल

बी0ई0एल0 तिराह के पास चौकी महाराजपुर
दिनांक घटना 04.09.2022 समय 13.50 बजे

बरामदगी का विवरण –

1. 35 पोव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0स0 0319/022 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना लिंकरोड गाजियाबाद
2. मु0अ0स0 0342/20 धारा 380/411/454 भादवि थाना लिंकरोड गा0बाद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री त्रिभुव सिंह हयांकी आबकारी

उ०नि० श्री प्रताप सिंह तोमर
है०का० दिनेश
का० मुनेन्द्र
का० राकेश आबकारी

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 04 नफर वाँछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, जिनके कब्जे से टयूवैल के कमरे का चोरी का गेट बरामद होना

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर गिरफ्तारशुदा अभि०गण 1. इमरान पुत्र शमशूल नि० ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम सपरदा थाना आलम नगर जिला सहरसा राज्य बिहार उम्र 27 वर्ष 2. सरताज पुत्र जहीर नि० गिरजाघर दौलत नगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम काशी थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र 19 वर्ष 3. वसीम पुत्र मुन्ना नि० गिरजाघर दौलत नगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम काशी थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र 30 वर्ष 4. सलमान पुत्र फैमुद्दीन नि० मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष गाजियाबाद को समय 08.20 बजे मण्डोला गौठरा मोड पर चौकी क्षेत्र मण्डोला से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से टयूवैल के कमरे का चोरी का गेट बरामद हुआ है।

नाम पता अभियुक्त

1. इमरान पुत्र शमशूल नि० ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम सपरदा थाना आलम नगर जिला सहरसा राज्य बिहार उम्र 27 वर्ष
2. सरताज पुत्र जहीर नि० गिरजाघर दौलत नगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम काशी थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र 19 वर्ष
3. वसीम पुत्र मुन्ना नि० गिरजाघर दौलत नगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम काशी थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र 30 वर्ष
4. सलमान पुत्र फैमुद्दीन नि० मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 21

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स०-492/22 धारा 457/380/411/414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद बनाम इमरान, सरताज, वसीम, सलमान उपरोक्त
2. मु०अ०सं० 664/17 धारा 4/25 ए एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद बनाम इमरान

अपराध करने का तरीका

अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ पर बताया कि हम मौका पाकर जगह जगह क्षेत्र में जो भी कुछ सामान मिलता है चोरी कर लेते हैं जिन्हे सस्ते दामों में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण व अपना शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० राकेश कुमार शर्मा
2. है०का० 494 प्रवेन्द्र कुमार
3. है०का० 690 मौहल्लड

बरामदगी का विवरण

टयूवैल के कमरे का चोरी का गेट